5. बिना नार्म्स एवं मापदण्ड के कोई भी मान्यता नहीं,

6. बिना मान्यता के अथवा मान्यता निरस्त होने के बाद संचालन पर रू. 1 लाख का दण्ड, तदुपरांत प्रतिदिवस रू. 10000 ,

7. मापदण्ड पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष की समय सीमा,

8. शिक्षक छात्र अनुपात की पूर्ति हेतु 6 माह, किसी भी शाला में 10 प्रतिशत से अधिक रिक्तियाँ नहीं।

सब पढ़ें सब बढ़ें

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें –

1. उच्च न्यायालय स्तर पर – मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जबलपुर, उप समिति ग्वालियर एवं इन्दौर के सचिव अथवा वहाँ के जिला विधिक सहायता अधिकारी से,

2. जिला स्तर पर – जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से,

3. तहसील स्तर पर – दीवानी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति से,

4. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
574, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर
द्वारा विज्ञापित

कानूनी साक्षरता - हटाये दुर्बलता

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन
NATIONAL LEGAL LITERACY MISSION

शिक्षा का मूल अधिकार

शिक्षा मेरा अधिकार है

सब पढ़ें सब बढ़ें

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
574, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)
दूरभाष: (0761) 2678352, 2624131 फैक्स : 2678537
वेबसाइट : www.mpslsa.nic.in
ईमेल : mplsajab@nic.in

शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम 2009

अनुच्छेद–21क (शिक्षा का मूल अधिकार) 86 वाँ संविधान संशोधन (2002) द्वारा अनुच्छेद–21क में वर्णित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के पश्चात् अनुच्छेद–21क में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य, छह वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करेगा। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार–

निःशुल्क शिक्षा का अर्थ है– किसी भी बच्चे द्वारा ऐसी कोई फीस /शुल्क/ व्यय देय नहीं होगा जो कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में रूकावट डाले एवं

अनिवार्य शिक्षा का अर्थ है – 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का शत्–प्रतिशत् नामांकन, शत्–प्रतिशत् उपस्थिति तथा शत्–प्रतिशत् बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने की संवैधानिक अनिवार्यता राज्य सरकार की है। साथ ही बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने की जिम्मेदारी अभिभावकों पर भी डाली गई है। इसके लिए मूल कर्तव्य अनुच्छेद–51(K) में इसे शामिल किया गया है।

प्रमुख प्रावधान :–

- ड्रापआउट एवं अनामांकित बच्चों का उनकी उम्र के अनुरूप कक्षा में नामांकन।
- अन्य बच्चों के समकक्ष लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण।
- प्रवेशित बच्चों के 14 वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार।

- प्रवेश हेतु जन्म प्रमाणपत्र एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं।
- किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोके रखने अर्थात कक्षा 8 तक फेल करने पर प्रतिबंध।
- बच्चों को शारीरिक दण्ड देने एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करना प्रतिबंधित।
- समस्त बच्चों के लिए उनके निर्धारित पड़ोस (Neighbourhood) में शिक्षा की सुविधा 3 वर्ष में उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की बाध्यता।
- शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन प्रतिबंधित।
- शिक्षकों का गैर शिक्षकीय कार्य में लगाना प्रतिबंधित– दशकीय जनगणना, चुनाव एवं आपदा राहत को छोड़कर।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों, अभिभावक एवं शिक्षक की शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा।
- कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान।

इस अधिनियम में उपबंधित दण्ड :–

- केपिटेशन फीस प्रतिबंधित, उल्लंघन पर केपिटेशन फीस का 10 गुना दण्ड,

1. प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रतिबंधित,
2. चयन रेंडम आधार पर,
3. उल्लंघन पर दण्ड : पहली बार – रू. 25000, अगली बार से प्रत्येक बार के लिए रू. 50000,
4. बिना मान्यता के किसी भी स्कूल का संचालन नहीं,